

आञ्जनेय कुमार सिंह

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,  
परती भूमि विकास विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, महोबा, झांसी, फैजाबाद,  
गोरखपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर, सिद्धार्थ नगर,  
अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर,  
देवरिया, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हाथरस, अमरोहा,  
(जेपीनगर) कानपुर नगर, कौशाम्बी, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, संत कबीर  
नगर, शाहजहाँपुर, उन्नाव, आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, बहराइच, बलिया,  
बलरामपुर, बाराबंकी, बागपत, बिजनौर, चंदौली एवं गोंडा(देवीपाटन), जौनपुर,  
कानपुर देहात, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती,  
सीतापुर, सोनभद्र तथा वाराणसी।

पत्र सं०-1058/85-परती-2016/2015-16 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2016

विषय- समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत  
वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के वाटरशेड वर्क फेज  
की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र  
संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी) क्रमांक-1/यूपी/2015-16/  
आईडब्ल्यूएमपी दिनांक 31 अगस्त, 2015 तथा पत्र संख्या-के-11013/19  
/2013/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी)क्रमांक-2/यूपी/2015-16/आईडब्ल्यूएमपी दिनांक  
31 अगस्त, 2015 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य के बजट खाते में जमा की गयी  
है जिसकी पुष्टि वित्त विभाग के केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा की गयी है।  
शासनादेश संख्या-74/आईडब्ल्यूएमपी/85-परती-2015-30(परती)/2014 दिनांक  
19 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश-86/आईडब्ल्यूएमपी/85परती-2015-30 (परती)  
/2014 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश तथा  
उसके सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश को सम्मिलित करते हुये परियोजना मद के  
अन्तर्गत वाटरशेड वर्क फेज की 50 प्रतिशत धनराशि में से वर्ष 2014-15 तक कुल  
अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाकर प्रशासनिक मद तथा कार्यमद में धनराशि  
संलग्न तालिका के कालम नं०-14 में अंकित धनराशि समेकित जल संग्रहण

